न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेंस / टी0ए0 / 3329 / 2004 / हनुमानगढ़

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, (राजस्व) संगरिया।

.....प्रार्थी

बनाम

1— सुभाषचन्द
2— अमरसिंह
3— हनुमान प्रसाद
4— रणवीर
पुत्रगण जयमल राम जाति जाट निवासी मालारामपुरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5— लीलादेवी पुत्री जयमल राम जाति जाट साकिन मालारामपुरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

.....अप्रार्थीगण

एकल–पीठ
श्री खजान सिंह, सदस्य

उपस्थितः
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत उप–राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी
श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका अधिवक्ता अप्रार्थी।

————

निर्णय

दिनांकः 11 अप्रेल, 2022

यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 232 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 08–7–2004 द्वारा अभिशंषित कर प्रेषित किया है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार, संगरिया ने न्यायालय जिला कलक्टर, हुनमानगढ़ के समक्ष रेफरेंस प्रस्तुत करने हेतु एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ में एक प्रकरण उनवानी मु0 खीवणी वगैरह बनाम जगदीश वगैरह इस्तकरारकहक व हुक्म इम्तनाई दवामी के तहत पेश किया जिसमें चक नंबर 9 के.एस.डी. के पत्थर नम्बर 114 / 113 (51) किला नंबर 16 ता 17 रकबा 2 बीघा, किला नंबर 21 ता 24 रकबा 4 बीघा, किला नंबर 25 रकबा 0.17 बीघा, पत्थर नम्बर 144 / 114 (64) किला नंबर 1 ता 4 रकबा 4 बीघा, किला नंबर 5 रकबा 0.17 बीघा, किला नंबर 7 रकबा 1 बीघा तथा किला नंबर 10 रकबा 1 बीघा भूमि बाबत तथ्य छिपाकर पेश किया तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। मु0 खावणी व जयमल राम के निधन होने से तथा शांतिदेवी के दस्तबरदार होने से अप्रार्थीगण रिकार्ड पर आए है जिसकी ताईद में नकल जमाबंदी पेश की है। विवादित भूमि सीलिंग प्रकरण संख्या 52 / 72 उनवानी सरकार बनाम हनुमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 28–8–74 द्वारा तहसील संगरिया के ग्राम

मालारामपुरा की 53.10 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये गये। इस निर्णय के विरूद्ध कृष्ण कुमार वगैरह ने एक अपील संख्या 51/94 उनवानी कृष्ण कुमार वगैरह बनाम सरकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनमानगढ़ के समक्ष पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 02–02–96 पारित किया जिसके विरूद्ध राज्य सरकार ने निगरानी संख्या 194/96 /टीए/ हनुमानगढ़ उनवानी राजस्थान सरकार बनाम कृष्ण कुमार वगैरह माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की। मण्डल की एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 29–4–98 द्वारा उप जिलाधीश, हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 28–8–74 बहाल रखकर उस निर्णय की नियमानुसार पालना किये जाने के निर्देश प्रदान कर दिये। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 52/72 में पारित निर्णय दिनांक 28–8–74 के द्वारा तहसील संगरिया की 53.10 बीघा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये थे, अतः उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने पत्रांक रीडर/सीलिंग /429–31 दिनांक 10–4–2001 द्वारा 53.10 बीघा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये तथा तत्पश्चात् पुनः पत्रांक 360 दिनांक 02–5–2002 के द्वारा डिक्री पारित हुई, के विरूद्ध रेफरेंस प्रस्तुत करने तथा शेष भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया। तहसीलदार, संगरिया द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के समक्ष रेफरेंस पेश किया गया। जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 08–7–2004 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 145/1982 बउनवानी जयमल राम आदि बनाम जगदीश आदि वर्तमान उनवानी मु0 खीवणी आदि बनाम जगदीश आदि में पारित निर्णय दिनांक 04–9–1982 को निरस्त करने हेतु राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेंस प्रकरण प्रेषित किया है।

3– विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपने कथन में बताया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 145/82 तथ्यों को छिपाकर पेश किया गया था जिसमें उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ ने तथ्यो व परिस्थितयों का गहराई से अवलोकन नहीं कर जो निर्णय व डिक्री दिनांक 04–9–1982 पारित किया है, वह विधि के विपरीत है। विवादित भूमि सीलिंग प्रकरण संख्या 52/72 सरकार बनाम हनुमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ ने दिनांक 28–8–74 को निर्णय पारित किया जिसमें तहसील संगरिया के ग्राम मालारामपुरा की 53.10 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये गये। इसके बाद विभिन्न न्यायालयों तक प्रकरण चलता रहा परन्तु अन्ततः मण्डल की एकलपीठ ने दिनांक 29–4–98 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 28–8–74 को बहाल रखा है। उपखण्ड अधिकारी, संगरिया ने अपने पत्रांक दिनांक 10–4–2001 द्वारा अधिग्रहण करने के आदेश दिये तत्पश्चात् पुनः पत्रांक 360 दिनांक 02–6–2002 के द्वारा डिक्री हुई है, के विरूद्ध रेफरेंस करने हेतु निर्देशित किया व शेष भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अन्त में उनका निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–9–82 को निरस्त किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजकीय भूमि घोषित कर रकबाराज दर्ज की जावे।

4– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण अपने पूर्वजों के समय से अर्थात संवत 2009 से आराजी पर काबिज चले आ रहे थे। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2009 से 2012 व जमाबंदी ग्राम मालारामपुरा सन् 1854–55 के खाना नंबर 4 में वे उप कृषक की हैसियत से काश्तकार दिखाये गये हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध

दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही उनके पूर्वज आराजी पर काबिज काश्त थे। इन समस्त तथ्यों को देखते हुए ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 04–9–82 द्वारा प्रार्थीगण /वादीगण फूसाराम वल्द नानक जाति बिश्नोई के वारिसान को तीनों चकों की 20 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार देने का निर्णय किया है, जो कि एक विधिवत आदेश है। रेफरेंस लगभग 20 वर्षो के बाद पेश किया गया है इतनी लम्बी अवधि के बाद रेफरेंस पेश किये जाने का प्रार्थीगण का कोई औचित्य ही नहीं है। अतः रेफरेंस खारिज फरमाया जावे।

5– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ ने न्यायालय उप जिलाधीश, हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 145 / 1982 उनवानी जयमल राम आदि बनाम जगदीश आदि वर्तमान उनवान मु0 खीवणी आदि बनाम जगदीश आदि में पारित निर्णय दिनांक 04–9–1982 को निरस्त किये जाने के लिए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

7– प्रस्तुत प्रकरण में हम सर्वप्रथम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)संगरिया जिला हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–74 को यहां अंकित करना उचित समझता हूं, जो निम्न प्रकार है :–

> "राजकीय अभिभाषक हाजिर। घोषणाकर्ता के वकील एवं घोषणाकर्ता बावजूद इतला पानी के हाजिर नहीं। लिहाजा कार्यवाही इकतरफा अमलाये लाई जाती है। बहस इकतरफा राजकीय अभिभाषक समायत की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। घोषणाकर्ता के पास मुताबिक रिपोर्ट तहसील टीबी चक 19 **GGR** में 10 बीघा 1. **HMH** में 13 बीघा व चक 21 **CDR** में 11 बीघा कमाण्ड भूमि है। इसके अलावा उसकी औरत मु0 कलावती के नाम से चक नं. 1 **HMH** में 10 बीघा भूमि है क्योंकि उसकी औरत मु0 कलावती उसी के साथ रहती है व उसी पर आश्रित है। इसलिए उसकी यह 11 बीघा भूमि भी घोषणाकर्ता की भूमि के साथ मिलाई जाती है। उपरोक्त भूमि के अलावा घोषणाकर्ता के पिता श्री बृजलाल के नाम से तहसील टीबी के चक नंबर 3 **SSW** में 45 बीघा 7 **KSP** में 62 बीघा व 9 **KSP** में 135 बीघा 1 **HMH** में 34 बीघा 19 **GGR** में 16 बीघा व टीबी **B** में 13 बीघा 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 305 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी। बृजलाल का देहान्त हो गया और उसके देहान्त के बाद यह कुल भूमि उसके लड़के हरमान व उसकी लड़की इन्दूबाला को विरासतन मिली। इसमें से टीबी बी की 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि को छोड़कर बाकी आराजी का इंतकाल हरमान व इन्दूबाला के नाम से हो चुका है। बृजलाल के नाम से तहसील टीबी की आराजी के अलावा तहसील सादुल शहर के चक नम्बर 13 **KSD** में 20 बीघा 2 बिस्वा व 14 **KSD** में 73 बीघा 10 बिस्वा कुल 93 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी। हरमानगढ़ तहसील में भी बृजलाल के नाम से चक 10 **KSP** में 40 बीघा व चक 4 **SSW** में 12 बीघा कुल 52 बीघा भूमि श्री बृजलाल के नाम से तहसील संगरिया की 107 बीघा भूमि रिपोर्ट तहसीलदार संगरिया से होनी पाई जाती है। ये भूमि श्री बृजलाल के फोत होने के बाद उसके लड़के हरमान व उसकी लड़की इन्दूबाला बहिस्सा बराबर ..... (अपठित) मिली। घोषणाकर्ता हरमान के पास तहसील हरमानगढ़ में खुद के नाम से चक 4 **SSW** में 12 बीघा व 10 **KSP** में 27 बीघा 8 बिस्वा कुल 39 बीघा 8 बिस्वा भूमि है।
>
> इस प्रकार से घोषणा करता हरमान के पास उसकी खुद की भूमि व बृजलाल के फोत होने के बाद उससे विरासत में मिली हुई भूमि निम्न प्रकार है :–
>
> | | | |
> |---|---|---|
> | तहसील टीबी चक | **19 GGR** | 10 बीघा |
> | | **1. HMH** | 13 बीघा |
> | | **21 CDR** | 11 बीघा |
> | | **3. SSW** | 22 बीघा 10 बिस्वा |
> | | **6 KSP** | **31** बीघा |

	9 KSP	67 बीघा 10 बिस्वा
	1. HMH	17 बीघा
	19 GGR	08 बीघा
टीबी	B	06 बीघा 15 बिस्वा
तहसील सादुल शहर	13KSD	10 बीघा 01 बिस्वा
	14KSD	36 बीघा 15 बिस्वा
तहसील हनुमानगढ़	4 SSW	12 बीघा
	10 KSP	27 बीघा 08 बिस्वा
	10 KSP	20 बीघा
	4 SSW	09 बीघा
तहसील संगरिया में		53 बीघा 10 बिस्वा
	कुल	352 बीघा 9 बिस्वा

इसके अलावा घोषणाकर्त्ता की औरत मु0 कलावती के नाम से तहसील टीबी के चक 1 **HMH** में 13 बीघा भूमि है, जो उपरोक्त भूमि के साथ मिलाई जाती है। इस प्रकार घोषणाकर्ता के पास कुल भूमि 365 बीघा 9 बिस्वा है। घोषणाकर्ता के परिवार में कुल 8 आठ सदस्य हैं, जिसमें से एक उसका लड़का कृष्णा भी है, क्योंकि जायदाद जद्दी है और कृष्णा का इसमें हक है और वह इस भूमि में **Cosharer** है इसलिए उसके हिस्से में 182 बीघा 14 बिस्वा भूमि आती है लेकिन उसके परिवार में केवल वही एक सदस्य है और तहसील टीबी की सीलिंग सीमा 69 बीघा है इसलिए वह केवल 69 बीघा भूमि ही रख सकता है बाकी 113 बीघा 14 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने योग्य है।

घोषणाकर्ता हरमान के परिवार में सात सदस्य बाकी रहते है, 2 सदस्यों की अतिरिक्त 23 बीघा भूमि की छूट देने पर घोषणाकर्ता हरमान 92 बीघा भूमि रख सकता है और 90 बीघा 14 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने योग्य है।

इन्दूबाला घोषणाकर्ता की जो बहन है और जिसको बृजलाल के फोत होने पर निम्न चक में निम्न प्रकार से भूमि मिली :–

तहसील टीबी0 चक	3. SSW	22 बीघा 10 बिस्वा
	6. KSP	31 बीघा
	9 KSP	67 बीघा 10 बिस्वा
	1. HMH	17 बीघा
	19 GGR	8 बीघा
टीबी	B	06 बीघा 15 बिस्वा
तहसील सादुल शहर	13KSD	10 बीघा 01 बिस्वा
	14KSD	36 बीघा 15 बिस्वा
तहसील हनुमानगढ़	10 KSP	20 बीघा
	4. SSW	6 बीघा
तहसील संगरिया में		53 बीघा 10 बिस्वा
	कुल	279 बीघा 1 बिस्वा

क्योंकि इन्दूबाला ने अपना अलग से कोई घोषणापत्र नहीं भरा है इसलिए उसका एक परिवार मानकर 69 बीघा भूमि रखने की छूट दी जाती है बाकी 210 बीधा 1 बिस्वा भूमि उसकी अधिग्रहण करने योग्य है।

इस प्रकार से घोषणाकर्ता हरमान वे बृजलाल व इन्दूबाला के खातेदारी की आराजी में से कृष्णा के हिस्से की 69 बीघा का व हरमान के हिस्से की 92 बीघा व इन्दूबाला के हिस्से की 69 बीघा कुल 230 बीघा भूमि छोड़कर बाकी .....(अपठित) आराजी के चौदह बीघा नौ बिस्वा भूमि अधिग्रहण की जाती है। घोषणाकर्त्ता को नोटिस दिये जावें कि वे कौनसी आराजी अधिग्रहण करवाना चाहते हैं अन्दर 15 योम में अपना ऑप्शन प्रेषित करें अन्यथा उनके खाते में से कोई सी 414 बीघा 9 बिस्वा भूमि अधिग्रहण कर ली जायेगी।''

8– न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, संगरिया ने प्रकरण संख्या 52 / 1972 में उपर्युक्त अंकित आदेश दिनांक 28–8–74 में प्रतिवादीगण के पास तहसील संगरिया के ग्राम मालारामपुरा की 53.10 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश में कहीं पर भी घोषणाकर्ता के परिवार के किसी भी सदस्य के नाम चक 9 KSD की भूमि का विवरण अंकित नहीं है।

मात्र तहसील संगरिया अंकित कर 53.10 बीघा का विवरण दिया है। ऐसी स्थिति में चक 9 KSD की ही भूमि अधिग्रहित की गई, से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं।

9— पत्रावली में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 28—8—74 द्वारा कुल 414 बीघा 09 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिया है तथा घोषणाकर्ता / खातेदारान के पास 230 बीघा भूमि शेष रही। इस संदर्भ में विचारणीय बिन्दु यह भी है कि घोषणाकर्ता / खातेदारान से अधिग्रहित भूमि के संबंध में भूमि समर्पित करने हेतु भारमुक्त भूमि के विकल्प लिये जाने के प्रावधान हैं। यदि उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 04—9—1982 के आधार पर 9 KSD की भूमि, जो घोषणात्मक वाद के द्वारा डिक्री कर दी गई है तो अधिग्रहण करते समय घोषणाकर्त्ता / खातेदारान के पास शेष रही 230 बीघा शेष भूमि में से भारमुक्त भूमि का विकल्प लिया जाना चाहिए था।

10— उपरोक्त विवेचन के परिप्रेचय में हम जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस सुसंगत तथ्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में पेश किये जाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाते हैं।

11— परिणामस्वरूप यह रेफरेंस खारिज किया जाता है तथा जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ यदि विवादित भूमि को अधिग्रहण योग्य मानते हो तो पुनः प्रकरण की पूर्ण जांच कर आवश्यक दस्तावेजात के साथ राजस्व मण्डल में रेफरेंस करने के लिए स्वतंत्र हैं।

12— निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख वापस भेजा जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(खजान सिंह)
सदस्य